

हेतु समय चाहे हैं संव्याप्त में अंतिम अवसर दिया जाता है।  
पत्रावली साक्ष्यवारी हेतु दिनांक 15-9-2020 को पेश हो

No 15-9-2020

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित  
राज साहब  
पत्रावली इलतबा होकर दिनांक  
31-9-2020 को पेश हो।

32

No 3-11-2020

पत्रावली पेश हुई वकील उग्रम  
पक्षकार उग्रम पक्षकार वकील साक्ष्य वारी  
होजि नही करने से साक्ष्य वारी हेतु  
समय चाहते हैं। पत्रावली से संबंधित  
फाइल दिखाना पत्रावली साक्ष्य  
वारी हेतु दिनांक 9-11-2020 को पेश हो।

दिनांक 9/11/2020

पत्रावली पेश हुई वकील उग्रम पक्षकार उप०।  
वकील वारी साक्ष्य वारी छाजेर नही करने से साक्ष्य  
वारी हेतु समय चाहे हैं संव्याप्त में अंतिम अवसर  
दिया जाता है। पत्रावली साक्ष्य वारी हेतु दिनांक  
11/2/2020 को पेश हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, सीरोही  
रा. नं. अ. धारा 88, 188 भा. 1  
राजेश कुमार वर्मा  
ज. नं. 91/2013

11/2/20

Note Press  
32  
A.

पत्रावली पेश हुई वकील उग्रम पक्षकार उप०।  
वकील वारी ने विचाराधीन वाद को आगे नही चलाने  
हेतु खारिज कराने के लिए नोट प्रेस किया है।  
अतः विचाराधीन वाद अ. धा. 88, 188 भा. 1  
किन्तु प्रतिवादी वकील वारी द्वारा Note Press  
करने से आगे नही चलने व खारिज होकर जाने  
से जरिये Note Press खारिज किया जात।  
निर्णय शरै ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फेराल  
कुमार लेकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर  
सीरोही (राज०)